संख्या-5/2022-वे0आ0-2-190/दस-2022-62(एम)/2008टी०सी०-1

प्रेषक,

एस0 राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 02 मई, 2022

विषय:- सुनिश्चित कैरियर प्रोन्न्यन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ए०सी०पी० विषयक शासनादेश दिनांक 29 सितम्बर, 2020 के विभिन्न बिन्दुओं के निर्वचन में प्रशासकीय विभागों को हो रही कठिनाई, ए०सी०पी० की व्यवस्था के फलस्वरूप वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक से कम होने से उत्पन्न विसंगति एवं शासनादेश दिनांक 29 सितम्बर, 2020 की व्यवस्था के कारण पूर्व के प्रकरणों में वरिष्ठ कार्मिकों से वसूली/समायोजन के कारण विभिन्न न्यायालयों में योजित वादों/अवमाननावादों की संख्यां में उत्तरोत्तर वृद्धि के दृष्टिगत राज्यपाल महोदया द्वारा शासनादेश दिनांक 29 सितम्बर, 2020 की व्यवस्था को निम्नवत स्पष्ट करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

(1) शासनादेश संख्या-5/2020/वे0आ0-2-550/दस-2020-62(एम)/2008टी0सी0-1, दिनांक 29 सितम्बर, 2020 के प्रभावी होने की तिथि 29 सितम्बर, 2020 होगी।

(2) दिनांक 29 सितम्बर, 2020 के पूर्व के प्रकरणों में किसी संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक से कम होने की स्थिति में कनिष्ठ के बराबर तभी किया जायेगा जब प्रश्नगत प्रकरण शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के प्रस्तर-1(19) में प्राविधानित व्यवस्था से पूर्णतया आच्छादित हो।

(3) उक्त (2) में निर्दिष्ट व्यवस्था से भिन्न किसी वरिष्ठ कार्मिक का वेतन किसी कनिष्ठ कार्मिक के वेतन के बराबर नहीं किया जाना है भले ही प्रकरण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

दिनांक 29.09.2020 के पूर्व का हो और यदि ऐसी कोई बराबरी दी गयी है तो उसे निरस्त कर वसूली/समायोजन की कार्यवाही कर ली जायेगी।

(4) शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के प्रस्तर-1(8) में दिये गये उदाहरण चूँकि प्रस्तर-1(8) के ही प्राविधानों से भिन्न एवं असंगत है तथा प्रस्तर-1(19) के वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक के वेतन के बराबर किये जाने के मूल प्राविधान के प्रतिकूल है तथा इसी प्रकार प्रस्तर-1(19) में दिया गया उदाहरण भी प्रस्तर-1(19) के मूल प्राविधान से भिन्न स्थिति में भी लागू हो सकता है अतः प्रस्तर-1(8) एवं प्रस्तर-1(19) में दिये गये सभी उदाहरण निष्प्रभावी एवं निरस्त माने जायेंगे। जिन भी प्रकरणों में शासनादेश दिनांक 05.11.2014 के प्रस्तर-1(19) के मूल प्राविधान से भिन्न जाकर उपर्युक्त उदाहरणों के प्रकाश में कोई लाभ दिया गया होगा, भले ही यह लाभ शासनादेश दिनांक 29 सितम्बर, 2020 के पूर्व के प्रकरणों में दिया गया हो, उसको निरस्त कर अधिक भुगतान की वसूली सुनिश्चित कर ली जायेगी।

3- शासनादेश संख्या-5/2020/वे0आ0-2-550/दस-2020-62(एम)/2008 टी0सी0-1, दिनांक 29 सितम्बर, 2020 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उक्त शासनादेश की अन्य व्यवस्थायें यथावत लागू रहेंगी।

एस0 राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-5/2022-वे0आ0-2-190(1)/2022, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I एवं II तथा (आडिट)-I एवं II, उ०प्र० प्रदेश,इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदया, उ०प्र० शासन।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उ०प्र०।
4- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र० शासन।
6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ०प्र०।
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र०।
8- उ०प्र० सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9- इरला चेक अनुभाग, उ०प्र० शासन।
10- गार्ड फाइल।

सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in